



Office of
EXECUTIVE ENGINEER, NER CHOWK DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department NerChowk
Ph. 01905-243262, Fax: 243262, E-mail eepwd-nerchowk-hp@gov.in

No.PW-NCD- WA-Forest Cass-2024- 15653-56

Dated:- 11-3-2024

To

The Deputy Conservator of Forest,
Mandi Forest Division
Distt. Mandi (H.P.)

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति शर्तें	पालना शर्तें
(A)	वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-	
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है।
ii	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्तप्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्तप्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है।
ii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता

	06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 23,82,129/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।
iii.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दिए गये हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
iv.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
V	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) की राशि 37,97,936/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गये हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Vi	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
vii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही वेब पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(B)	वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। वन मंडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
V.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड करेगी। राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Viii	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

Ix	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xi	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xiii	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xiv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xv	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xvi	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xvii	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xviii	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xix	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

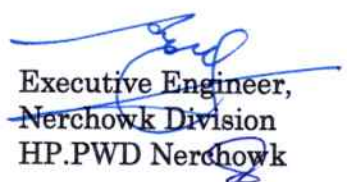
		है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xx	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxi	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxii	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
xxiv	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

DA/- As above

— Sd —
Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Copy of the following for information:

1. The Deputy Conservator of Forest, Suket Forest Division at Sunder Nagar.
2. The Assistant Engineer, Chakkar Sub- Division H.P.P.W.D. Chakkar.
3. ✓ The FCA Consultant, Sh. Naresh Kumar R/O Nerchowk Distt. Mandi HP- 175008.


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -i

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

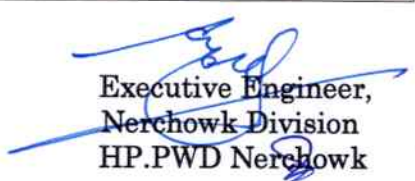
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -ii

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
ii	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्तप्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्तप्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गयी है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

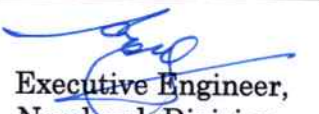
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -iii

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 23,82,129/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -iv

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दिए गये है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -v

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

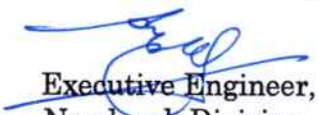
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -Vi

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) की राशि 37,97,936/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गये हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

Voucher No. 978/19.02.2024

TREASURY CODE:-		(HPTR-RTGS/NEFT ADVICE)			
DDO/SDO DESCRIPTION :- EXECUTIVE ENGINEER H.P.PWD., DIVISION NERCHOWK.		MDI 16	DDO CODE :- 667	SDO CODE :- 00	
PRE-ASSIGNED TOKEN No. :- 23102733					
To be directly credited to following accounts:-					
Sr. No	Name of Department	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Total Amount:-
1	Himachal Pradesh CAMPA	MP66710343	UBIN0996335	UBI	3813208
2	GST	MP66710344	RBIS0GSTPMT	RBI	3797936
					15272
Total Amount:-					3813208

(Rupees:-Thirty Eight Lacs Thirteen Thousand Two Hundred Eight) only


Executive Engineer,
Nerchowk Division
H.P.P.W.D. Ner Chowk


Executive Engineer,
Nerchowk Division
H.P.P.W.D. Ner Chowk


Executive Engineer,
Nerchowk Division,
HP.PWD., Nerchowk.

MP66710343

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-02-2024

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6133116424
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/39/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-In-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(In Rs)	3797936/-

Amount In Words :Thirty-Seven Lakh Ninety-Seven Thousand
Nine Hundred and Thirty-Six Rupees Only

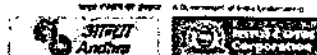
NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706133116424 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-02-2024

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6133116424
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/39/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-In-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(In Rs)	3797936/-

Amount In Words :Thirty-Seven Lakh Ninety-Seven Thousand
Nine Hundred and Thirty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706133116424 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank,
ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN424050045981/-



Form GST PMT -06 Payment Challan
(See Rule 87(2))
Challan for deposit of goods and services tax

CPIN: 24020200015536

Challan Generated on : 17/02/2024 14:10:02

Expiry Date : 03/03/2024

Details of Taxpayer

GSTIN: 02AAAGD1390K1ZR

E-mail Id: cXXXXXXXXXX@XXXXXXXXom

Mobile No.: 9XXXXX4410

Name(Legal): DIVISIONAL FOREST
OFFICER MANDI

Address : XXXXXXXXXXX Himachal Pradesh,175001

Reason For Challan

Reason: Any other payment

Details of Deposit (All Amount in Rs.)

Government	Major Head	Minor Head					
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Government Of India	CGST(0005)	7636	-	-	-	-	7636
	IGST(0008)	-	-	-	-	-	-
	CESS(0009)	-	-	-	-	-	-
	Sub-Total	7636	0	0	0	0	7636
Himachal Pradesh	SGST(0006)	7636	-	-	-	-	7636
Total Amount		15272					
Total Amount (in words)		Rupees Fifteen Thousand Two hundred Seventy-Two Only					

Mode of Payment

☐ E-Payment ☐ Over the Counter(OTC) ☒ NEFT / RTGS

NEFT/RTGS

Remitting Bank	STATE BANK OF INDIA
Beneficiary Name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	24020200015536
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	RBIS0GSTPMT
Amount	15272

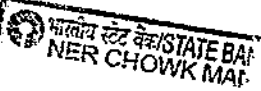
Note: Charges to be separately paid by the person making payment.

Particulars of depositor

Name	
Designation/Status(Manager,partner etc)	
Signature	
Date	

Paid Challan Information

GSTIN	
Taxpayer Name	
Name of the Bank	
Amount	
Bank Reference No.(BRN)/UTR	
CIN	
Payment Date	
Bank Ack No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	

E-CHALLAN	
Government Of Himachal Pradesh	
Department of Finance	Treasuries, Accounts & Lotteries
Valid Upto	25-Feb-2024
Remitter Copy	
HIMGRN	B24B115818
Date	19-02-2024 12:46:51PM
Department	Forest
BarCode	
Period	19-02-2024 To 26-02-2024
DDO	MDI16-814- D.F.O FOREST DIVISION MANDI
Head	₹ Amount
0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	247766
Total/Net Amount	247766
In words	Two Lakh Forty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Six
Payee Detail	
Licence/Vehicle/Permit/TIN no.	
OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -	
Remitter Name:-	Executive Engineer, Nerchowk Division
Address:-	Executive Engineer, Nerchowk Division, H.P.W.D. Nerchowk
FOR USE IN RECEIVING BANK	
Bank CIN No	HIMGRN B24B115818
Amount	₹ 247766
Bank	MANAGER, SBI NERCHOWK
Cheque-DD-No.	C.N-137
	
19 FEB 2024	
SHITA PUI	
P.F. No. 10322	
B24B115818	
e-Challan (IFMS)	

PayOrder

B - PAYEE DETAIL

Treasury MDI16 - STO NER CHOWK

PayOrder Number MP190220243001 Dated 19/02/2024 Payment Mode Challan

Total Amount ₹ 247766 (Rs . Two Lakh Forty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Six Only.)

Tokenno	Sr No	Payee Code	Payee Name	Bank IFSC	Bank Ac Number	Net Amount
7236	1	b24b115818	Executive Engineer			₹ 247766

District Treasury Officer/ Treasury Officer

MDI16 - STO NER CHOWK

(TO BE USED BY TREASURY BANKS)

This Document/Copy is to be returned with Bank Scroll along with Banker Cheques (if any).

**Total Banker Cheques enclosed:.....Amount.....

(**Note* Write Token.No and Payee Code on back of Banker Cheques.)

Scroll Date:

Bank Manager



19/02/2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -Vii

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Vii	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(A) वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -viii

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा ।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही वेब पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (i)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
(i)	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

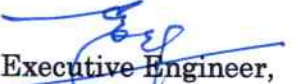
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (ii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्त
(ii).	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (iii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
(iii)	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

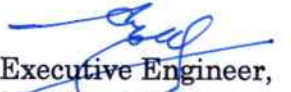
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या – B (iv)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे ।	वन मंडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B(V)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
V	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

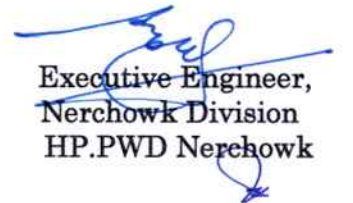
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (vi)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

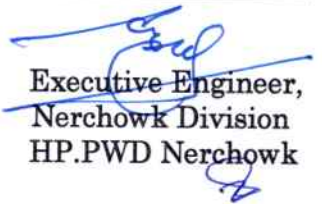
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B(vii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (viii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Viii	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

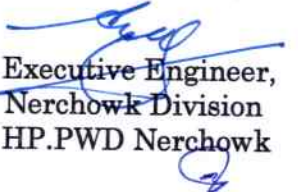
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (ix)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Ix	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

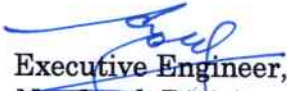
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B(X)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

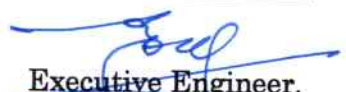
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xi)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xi	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

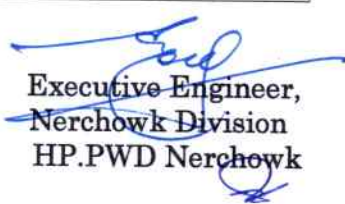
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

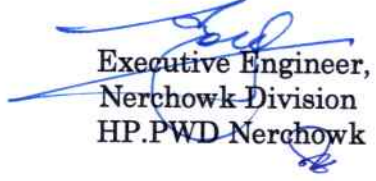
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xiii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xiii	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा ।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

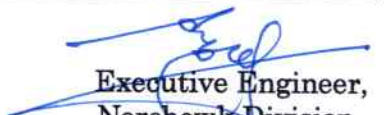
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xiv)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xiv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B(xv)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xv	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

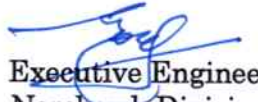
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या – B (xvi)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xvi	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

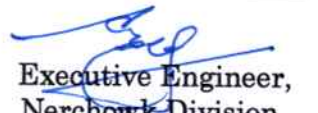
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या – B (xvii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xvii	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (Xviii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xvii i	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

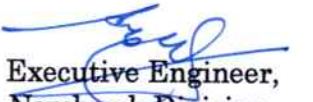
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है: -

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या – B (xix)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xix	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xx)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xx	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

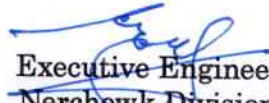
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या - B (xxi)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xxi	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

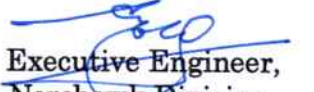
महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xxii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xxii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनवद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xii)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
Xxii	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024

वचन वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8B/HP/06/39/2021 Dated 25.10.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8B/HP/06/39/2021 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त संख्या -B (xxiv)

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति की शर्त	पालना शर्तें
xxiv	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।


Executive Engineer,
Nerchowk Division
HP.PWD Nerchowk

Place:-Nerchowk

Date:- 11-03-2024



**OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MANDI FOREST DIVISION, MANDI, HP 175001**
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com

No./RK./-----

Dated-----

From :- DCF Mandi

To:- CCF (T) Mandi

Subject:- Diversion of 2.3698 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Lakhwan Dahanu Hawanu Bhangot Rathol Andreta Meramasit road (Kms 0/00 to 8/010), within the jurisdiction of Suket & Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/33116/2018).

Memo:-

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या/56141 दिनांक/25.10.2023 के संदर्भ में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण व इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा सम्बन्धित रिपोर्ट आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं	सैधिनतिक स्वीकृति शर्तें	पालना शर्तें
(A)	वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता :-	
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की कुल राशि, 14,15,807/- जिसके विभागीय शुल्क राशि 2,47,766/- और जी0एस0टी0 चार्जिज रु. 15,272/- जमा करवा दिये गये हैं। जिससे सम्बन्धित चालान की प्रतियां साथ संलग्न हैं।
ii	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	इस आशय से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है।
ii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2.3698 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 23,82,129/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा

		करवा दी गई है। जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।
iii.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवा दिए गये है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वसूल कर ली गई है। जिससे सम्बन्धित प्रति साथ संलग्न है।
iv.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड करवा दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
V	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) की राशि 37,97,936/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 19-02-2024 को केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गये है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा राशि का विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है। उपरोक्त राशि का ब्यौरा मद संख्या 3 पर दिया गया है।
Vi	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
vii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पहले से ही वेब पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(B)	वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-॥ अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.74 है० Survey No. 53E/2/NW, Dobha DPF, Panarsa Forest Range, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। Undersigned द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
V.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड करेगी। राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML फाइल को अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

Vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Viii	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Ix	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xi	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xiii	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xiv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की

		पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xv	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xvi	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xvii	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xviii	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xix	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xx	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	कड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxi	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर

	विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	लगाई जा सकती है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
Xxii	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
xxiv	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

Encl:- As above

FR
EA-I, EA-II, GA,
WA, Bill Clerk
AB, DB

Endst. No. / RK/

10975

Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi HP

Dated, Mandi the/ 20-03-2024

Copy is forwarded to the Executive Engineer, Nerchowk Division, HPPWD at Mandi HP for information and further necessary action. This is w.r.t. his office letter No.PW-NCD-WA-Forest Case-2024: 15653-56 Dated/ 11.03.2024



Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi HP

HPPWD
No. PW-NCD-WA/FCA/2024-17/61-62 dated. 27-3-2024
copy forwarded to the Assistant Engineer Chakkar
Sub-Division HPPWD Nerchowk for information & n/a.
copy to Sh. Nareesh Kumar FCA Consultant
VPO Nerchowk for information & n/a.

Executive Engineer
Nerchowk Division
Mandi HP